

कार्यालय,

राज्य प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्यक: दिनांक: 09/08/2021

संख्या - प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

कार्यालय भाषा:

अतिरिक्त प्राविप उच्च-मैत्री शिक्षा परिषद, नई दिल्ली प्राविपों काउन्सिल और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा नैतिकता सं. 2021-22 हेतु दिल्लीय राष्ट्रीय उच्च-मैत्री शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अग्रे प्राविपिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक कोल हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित नई सम्बद्धता को सम्बद्धता पूर्व से संश्लेषित संस्थानों को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने के अग्रे प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य कार्य पर विचार करते हुए सं. 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में शिष्टे तत्वे निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविपिक शिक्षा परिषद, (अ) प्र. लखनऊ द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित शर्तों के अग्रे प्रवेश क्षमता एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 1599-RAM SINGH COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, NAGLA SIKANDAR, TUNDLA ETAH ROAD, FIROZABAD

क्र.सं.	पठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	INDUSTRIAL SAFETY	60	60
2	P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	30	60
3	P.G.DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY	60	60
4	P.G.DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	60
5	CIVIL ENGINEERING	60	60
6	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
7	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30
8	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
9	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	30	30
10	TEXTILE DESIGN	60	60
11	CHEMICAL ENGINEERING (PETRO-CHEMICAL)	30	30

संश्लेषित शर्तें:

- ✓ सं. 2021-22 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ सं. 2021-22 हेतु प्रवेश प्राविपिक शिक्षा परिषद सं. 1992 तथा प्राविपिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली 2018 तथा अन्य निर्धारित नियमों का अनुपालन करेगी तथा प्रत्येक विद्यार्थी अभिष्टे द्वारा निर्धारित शुल्क को समय-समय पर प्रत्येक हेतु सं. 2021-22 हेतु प्रत्येक शर्तों पर पठ्यक्रम हेतु सं. 40000.00-

संस्था एवं एक उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों (दो स्तरीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु ₹0.22500.000/- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रतीक छात्रावृत्त से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रावृत्तों से शुल्क के संबंध में समय-समय पर संसद द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जैसे निरीक्षण समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु फीस का पूर्वनिर्धारण किया जाता है, तो वही वही सर्वोत्तम रहे लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा प्रतिष्ठान तथा उच्च शिक्षण, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की धारा-10 का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षाओं की ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के विषय यह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/प्रविधिकारों/कारणवदे/सर्वोपदेशों एवं निदेशों, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षण प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च शिक्षण प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षण द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. की दिशियों से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में सख्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंधन नहीं उत्पन्न किया जाता है तथा दायर कांड के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निरंत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संवाहित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षण प्रवेश परीक्षा परिषद के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व (पी0सी0आई0) से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से) अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सर्वोत्तम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साठ-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावृत्त शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविक्षण हेतु उपर्युक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के संबंध में सख्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संवाहित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भू-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवाहित में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्तरीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साठ-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता कक्षा का अनुपालन न किये जाने अथवा कक्षा का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसंधान/अन्य कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/2021/3538-4809

दिनांक- 09/08/2021

प्रतिनिधि

निदेशक RAM SINGH COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, NAGLA SIKANDAR,
(UNDLA ETAN ROAD, FIROZABAD)

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

संलग्नक: दिनांक: 30/08/2022

(कार्यालय आपः)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यालय काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 24/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक भव्य हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मटी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1506-RAM SINGH COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	INDUSTRIAL SAFETY	60	60
2	P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	60	60
3	P.G.DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY	60	60
4	P.G.DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	60
5	CIVIL ENGINEERING	60	60
6	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
7	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30
8	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
9	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	30	30

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
10	TEXTILE DESIGN	60	60
11	CHEMICAL ENGINEERING (PETRO CHEMICAL)	20	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क लोग वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एक एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किए जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा वटि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ वटि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कावोलन को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक दौरे के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परराष्ट्रित/संचालित पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भवन, कर्मीयार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०ए०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०ए०)

सचिव

पृ०स०- प्राथमपरिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि-

राधिका/निदेशक, RAM SINGH COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY


(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०ए०)

सचिव

कार्यालय

प्रविष्ट, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश नखनऊ

संख्या- प्राविष्ट/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

नखनऊ दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय तालिका

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मसी कउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० नखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् फार्मसी कउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को पदत अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० नखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1506-RAM SINGH COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०टी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	INDUSTRIAL SAFETY	60	60
2	P.G DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	60	60
3	P.G DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY	60	60
4	P.G DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	60
5	CIVIL ENGINEERING	60	60
6	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
7	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30
8	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
9	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	30	30
10	TEXTILE DESIGN	60	60
11	CHEMICAL ENGINEERING (PETRO CHEMICAL)	15	15

सम्बद्धता हेतु शर्तें

वैशेषिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 313/16-असाहा/2022 दिनांक 11 मई 2023 द्वारा पूर्व में स्थापित समस्त संघर्षार्थी की जगह के विद्यार्थी राजकीय न्यायालय में अधिनियम संख्या 502/2023 में राजकीय न्यायालय के अतिरिक्त निर्णय के अन्तर्गत संबद्धता निर्णय की जाती है।

- ✓ संस्था अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के संचालक के अनुरोध संस्थान में संचालन संसाधन (भूमि, भवन, बैंक उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमनकी 1992, विनियमनकी-2000, हेमेट्टर विनियमनकी-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वास्य किया जायेगा। उपरोक्त के अधिनियम/शासनादेशों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पत्रावली होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जंजा उपलब्ध होगा। कौन निर्धारण समिति द्वारा बटि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में अनुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उपक्त, अनुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उपका तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उपका द्वारा कनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इन संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, अनुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कद टाकर किया जाता है तथा टाकर वाट के संबंध में भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को अनुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग कार्य होने के पूर्व अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यन्वय की उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, गठन, सज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यवस्था हेतु उपयुक्त यातायात उपलब्ध कराने के साथ रेगिम टोकन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघाजित पाठ्यक्रम को पढाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध करवाये गये अधिनियम, भूमि-भवन, फनीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है तो परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमनकी, 2000 के प्राधानानुसार परिषद् की सत्र पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फनीचर को परिषद् को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद् के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संस्था के अधिकृत भारतीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पुं०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक RAM SINGH COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव